



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2019/अग्रहायण 13, 1941

No. 706]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2019/AGRAHAYANA 13, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2019

सं. 06/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 895(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 122 के उपवाक्य (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उन अधिनियमों को विनिर्दिष्ट करती है जिनके संबंध में सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 लागू होगी, यथा:—

- (i) सिने-वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1981 (1981 का 30);
- (ii) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65);
- (iii) चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 (1958 का 30);
- (iv) चीनी (उत्पादन विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का 55);
- (v) चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29);
- (vi) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14);
- (vii) वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18);
- (viii) वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14);

[फा. सं. 267/78/19-सीएक्स-8(पीटी.-III)]

माजिद खान, उपायुक्त सीएक्स-8

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2019

No. 06/2019 Central Excise (N.T.)

G.S.R. 895(E).—In exercise of the power conferred by clause (c) of section 122 of the Finance (No. 2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby specifies the following enactments to which the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 shall be applicable, namely:—

- (i) Cine-Workers Welfare Cess Act, 1981(30 of 1981);
- (ii) Industries(Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);
- (iii) Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958);
- (iv) Sugar (Regulation of Production) Act, 1961 (55 of 1961);
- (v) Tea Act, 1953 (29 of 1953);
- (vi) Finance Act, 2001 (14 of 2001);
- (vii) Finance Act, 2005 (18 of 2005);
- (viii) Finance Act, 2010 (14 of 2010).

[F. No. 267/78/19-CX-8(Pt. III)]

MAZID KHAN, Dy. Commissioner CX-8